

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/Others/34216/2018

7		परियोजना/स्कीम का स्थान	नव गठित 16 वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, मुख्यालय हेतु आउट पोस्ट ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु-जिला/तहसील - नारायणपुर ग्राम - गढ़बेंगाल, गरांजी
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	नारायणपुर
	iii.	वन प्रभाग	नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर, परिक्षेत्र नारायणपुर
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है। (हे0)	निरंक
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन	निरंक
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन	निरंक
		(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	12.899 हे0
	vi.	हरियाली का घनत्व	मिश्रित वन , साईड क्वालिटी - III वन घनत्व - 0.6
	vi i.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
	vi ii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	संभावना नहीं है
	ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	नारंगी वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 2353 से लगा हुआ है।
	x.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं

	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नव गठित 16 वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल मुख्यालय हेतु आउट पोस्ट ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।										
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित राजस्व वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है										
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं										
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा											
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रति पूरक वनीकरण के लिये व्यापर्तन हेतु प्रस्तावित 12.899 हे0 भूमि के एवज में दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अवक्रमिक वनक्षेत्र अर्थात 12.899 X 2=25.798 का विवरण <table><tr><th>भू खण्ड</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>प्रतिपूरक के लिये भूखण्ड</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>1</td><td>P 2359 (O.A.)</td><td>25.798</td><td>25.798</td><td>प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से समीप है।</td></tr></table>	भू खण्ड	कक्ष क्रमांक	प्रतिपूरक के लिये भूखण्ड	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी	1	P 2359 (O.A.)	25.798	25.798	प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से समीप है।
भू खण्ड	कक्ष क्रमांक	प्रतिपूरक के लिये भूखण्ड	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी									
1	P 2359 (O.A.)	25.798	25.798	प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि से समीप है।									
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है										
	iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न है										

	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रूपये - 8129255.00
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः उपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है
12		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3165.882 वर्ग कि०मी०
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	114868.64 हेक्टेयर
		(क) आरक्षित वन	75856.850 हेक्टेयर
		(ख) संरक्षित वन	28089.87 हेक्टेयर
		(ग) असीमांकित वन	10921.920 हेक्टेयर
		योग :-	114868.64 हेक्टेयर
	iii	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	वनमण्डल के अंतर्गत 1980 से अब तक कुल प्रकरणों में 925.02 हे० वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
	iv	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	25.798 हे०
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	—
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	—
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	—
		क. वनभूमि।	—
		ख. वनेत्तर भूमि पर	25.798 हे०
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	नव गठित 16 वीं वाहिनी (भा०/२०) छ०स०बल मुख्यालय की स्थापना हेतु जिला नारायणपुर में नक्सली गतिविधियों पन अकुंश लगाने व क्षेत्र सुरक्षा दृष्टि से एवं क्षेत्र विस्तार के साथ साथ पुलिस बल की भर्ती से स्थानीय जनों को रोजगार प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 12.899 हे० राजस्व वन भूमि व्यापवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक : 25-10-18

स्थान : नारायणपुर

परिक्षेत्र अधिकारी
नारायणपुर

उप वन अधिकारी

उत्तर नारायणपुर

(स्टायलो मण्डावी)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल,
नारायणपुर (छ.ग.)